संख्या– 896/78–2–2014–53आई.टी./2008

प्रेषक,

जीवेश नन्दन
प्रमुख सचिव
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2

लखनऊ : 01 अगस्त जुलाई, 2014

विषय: एस.एस.डी.जी. योजनान्तर्गत प्रयोग होने वाले डिजिटल सिग्नेचर के सम्बन्ध में।

महोदय,

एस.एस.डी.जी. योजनान्तर्गत प्रयोग होने वाले डिजिटल सिग्नेचर एन.आई.सी. की सर्टीफाईंग अथारिटी (NICCA) द्वारा पूर्व में बनाये जाते रहे हैं। कतिपय कारणों से उक्त संस्था द्वारा डिजिटल सिग्नेचर बनाने की प्रक्रिया स्थगित कर दी गयी है, जिसके कारण स्टेट पोर्टल से दी जा रही सेवाओं में बाधा उत्पन्न हो रही है।

उक्त के क्रम में जब तक (NICCA) द्वारा डिजिटल सिग्नेचर जारी करने की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ नही की जाती है, तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप मे जिन अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर की वैधता अवधि समाप्त हो गयी है अथवा जिन्हे नया डिजिटल सिग्नेचर बनवाना है, उनके लिये उ.प्र. इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि. (यूपीएलसी) से डिजिटल सिग्नेचर बनवाये जाने की व्यवस्था करायी गयी है।

पूर्व मे निर्गत शासनादेश संख्या–72–78–2–2008–44आई.टी./2008 दिनांक 11 जनवरी 2008 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से यूपीएलसी को ई–प्रक्योरमेंट परियोजना के अन्तर्गत डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिये नामित किया गया था। इसी क्रम में यूपीएलसी से एस.एस.डी.जी. परियोजना हेतु डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त किये जा सकते हैं, जिस पर होने वाला व्यय का वहन डिस्ट्रिक्ट ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (डी.ई.जी.एस) के माध्यम से किया जा सकता है एवं आवश्यकतानुसार यूपीएलसी से सम्पर्क कर डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त कार्यवाही की जा सकती है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ.प्र. इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि. (यूपीएलसी) से सम्पर्क कर डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जीवेश नन्दन)
प्रमुख सचिव

संलग्नकः यथोक्त

संख्या: (1)/78–2–2014 तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. राज्य समन्वयक, सेण्टर फॉर ई–गवर्नेन्स, उ.प्र., अपट्रान बिल्डिंग लखनऊ ।
2. प्रबन्ध निदेशक उ.प्र. इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि., लखनऊ, एस.एस.डी.जी. परियोजनान्तर्गत बनने वाले डिजिटल सिग्नचर पर त्वरित कार्यवाही हेतु।
3. हेड, एसईएमटी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव